



81

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-ग्वालियर

निज - 1946-88K-16

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नन्हेराम
निवासी ग्राम सुमावली, तहसील
व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

— आवेदक

विरुद्ध

रामकृष्ण पुत्र श्री आशाराम,
निवासी ग्राम सुमावली, तहसील
व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

— अनावेदक

श्री. कोटेश्वर कृष्ण

द्वारा आज 20.6.16 को

प्रस्तुत

कोटेश्वर कृष्ण
क्लेक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त बेहट, जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21
/2014-15/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरुद्ध मध्य
प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

कोटेश्वर कृष्ण

R. 1946-1947/16 Gnd
राजेश्वर सिंह / रामकृष्ण

9.3.2017

आवेदन की ओर ले श्री के.के.के.
द्वितीय आयोग एवं आयोग की ओर
से श्री अग्रणी प्रीति स्वर आयोग, उपस्थित
आयोग के आयोग उक्त बनाया गया
कि सीमांत में आयोग का कर्जा नहीं पाया
गया है, इस विषय के आयोग फायदा नहीं है
अतः प्रधान समान किया जाये / आयोग
के आयोग के लगे से कर होने से
प्रधान समान किया जाता है

अ.एस.